संख्या 21023/09/2023-पीपी

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

[पुलिस प्रभाग -II]

****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, 110001

दिनांक 29 अप्रैल, 2025.

सेवा में

1. महानिदेशक, बीएसएफ, आरपीएफ
2. दिल्ली पुलिस आयुक्त
3. पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान पुलिस महानिदेशक

विषय: यूएनएमआईएसएस (दक्षिण सूडान) में व्यक्तिगत पुलिस अधिकारी की तैनाती के संबंध में

महोदया /महोदय

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 14.08.2024 के समसंख्यक पत्र और दिनांक 02.05.2024 के फैक्स संख्या IND-UNMISS-53663 की प्रति तथा संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन और यूएनएचक्यू के पुलिस प्रभाग से प्राप्त यात्रा प्राधिकार (**प्रतिलिपि संलग्न)** का संदर्भ देने और यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र पुलिस प्रभाग ने पीएमआई के माध्यम से 17 मई 2025 के लिए व्यक्तिगत पुलिस अधिकारी (IPO) के रूप में यूएनएमआईएसएस (दक्षिण सूडान) में निम्नलिखित अधिकारियों की तैनाती के संबंध में तैनाती प्राधिकार अग्रेषित किया है ।

क्र.सं.	यूएनएसएटी रैंक	नाम	लिंग	राज्य/संगठन/विभाग
1	2	मुनिसामैया, अश्विनी	पुरुष	कर्नाटक
2	6	सुनीति	महिला	उत्तर प्रदेश
3	8	शर्मा, राकेश	पुरुष	आरपीएफ
4	10	रजनीश कुमार	पुरुष	पंजाब

5	12	अरोड़ा, सुभाष चंद्र	पुरुष	पंजाब
6	13	सिंह, बिनोद कुमार	पुरुष	दिल्ली पुलिस
7	15	ठाकुर, रतिकांत	पुरुष	बीएसएफ
8	17	यादव, सुशीला	महिला	राजस्थान

2. अतः , अधिकारियों को इस निर्देश के साथ कार्यमुक्त करने का अनुरोध किया जाता है कि वे 07 मई, 2025 को राष्ट्रीय यूएनसीआईवीपीओएल केंद्र, आईटीबीपी, नई दिल्ली को रिपोर्ट करें ताकि यात्रा संबंधी औपचारिकताएं समय पर पूरी की जा सकें और मिशन यूएनएमआईएसएस (दक्षिण सूडान) में सुचारू रूप से तैनाती सुनिश्चित की जा सके।

3. अधिकारियों को सूचित किया जाए कि मिशन में शामिल होने से पहले उन्हें ऑनलाइन ई-प्रोटेक्ट पाठ्यक्रम पूरा करना है । यह पाठ्यक्रम अनिवार्य है और मेडिकल यूनिट भी इबोला ई-प्रोटेक्ट पाठ्यक्रम के अनुशीलन की अपेक्षा करती है ।

4. संबंधित अधिकारियों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें और संलग्न दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें, जिनमें विभिन्न निर्देश/दिशानिर्देश और अधिकारी द्वारा किए जाने वाली गतिविधियों का विवरण शामिल है। अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र पुलिस प्रभाग से प्राप्त प्रतिलेख को भी ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जा सकती है (प्रतियाँ **संलग्न हैं**):

i. **नकद** : उन्हें क्षेत्रीय केंद्र या मिशन क्षेत्र में प्रवेशन के दौरान दो (2) सप्ताह के लिए पर्याप्त नकद (USD) लाना होगा (कम से कम $100 प्रति दिन)। अधिकारी को आगमन के दिन एमएसए नहीं मिलेगा और उन्हें भोजन और होटल के लिए भुगतान करने में सक्षम होना चाहिए। अंतिम भुगतान सहित एमएसए भुगतान संयुक्त राष्ट्र पुलिस अधिकारियों के देश से अपेक्षित राष्ट्रीय बैंकिंग विवरण प्राप्त न होने के कारण बाधित होते हैं। चेक-इन के दौरान, संयुक्त राष्ट्र पुलिस अधिकारी को अपने देश के बैंक खातों का विवरण प्रदान करना चाहिए जैसे खाताधारक का नाम, खाता संख्या, खाता प्रकार (चेकिंग या बचत), बैंक का नाम, स्विफ्ट कोड, आईबीएएन नंबर (यदि उपलब्ध हो), शहर और देश के नाम सहित बैंक का पता।

ii. **यात्रा व्यवस्था का** अनुरोध किया गया है और यह फील्ड मिशन द्वारा यात्रा प्राधिकरण और टिकटिंग प्रक्रिया, तथा उड़ान की उपलब्धता के अध्यधीन है। एन्टेबे में यात्रा इकाई अधिकारी के लिए ई-टिकट, साथ ही अन्य दस्तावेज जारी करेगी और सीधे अधिकारी से संपर्क करेगी।

iii. **वीज़ा** : अधिकारी के पास वैध वीज़ा होना चाहिए।

iv. **टीकाकरण प्रमाणपत्र** - पीत ज्वर और मलेरिया का टीकाकरण अनिवार्य है और सभी यात्रियों को प्रवेश के समय टीकाकरण का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

v. **मलेरिया:** मलेरिया प्रोफिलैक्सिस आवश्यक है। कृपया शांति स्थापना अभियानों में कार्यरत संयुक्त राष्ट्र पुलिस अधिकारियों के लिए दिशा-निर्देश और यात्रा दिशानिर्देश देखें।

vi. **फ्रैग्मेन्टेशन वेस्ट और हेलमेट:** - शांति स्थापना अभियानों में नियुक्त संयुक्त राष्ट्र पुलिस अधिकारियों के लिए जारी दिशा-निर्देशों और पुलिस अधिकारियों के लिए दी गई उपकरण सूची (सूची संलग्न) के संदर्भ में, प्रत्येक पुलिस अधिकारी को अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए फ्रैग्मेन्टेशन वेस्ट और केवलर हेलमेट लाना होगा। इन अपेक्षाओं को पूरा न करने पर तैनाती नहीं होगी ।

vii. **भाषा और ड्राइविंग के लिए मिशन के दौरान परीक्षण** - पुलिस अधिकारी को मिशन के दौरान ड्राइविंग कौशल का परीक्षण देना होगा । पुलिस अधिकारियों के पास कम से कम दो साल का हालिया ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए, और उनके पास वैध राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय नागरिक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। पुलिस अधिकारियों को मिशन क्षेत्र में आने पर अपना वैध राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करना होगा । लाइसेंस उनके सेवाकाल के दौरान वैध होना चाहिए।

viii. **ऑनलाइन पाठ्यक्रम :** कृपया ध्यान दें कि नए भर्ती के लिए निम्नलिखित ऑनलाइन पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं, और उनके आगमन पर चेक-इन औपचारिकताओं के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। पाठ्यक्रम पूरा होने पर प्रमाण पत्र मुद्रित किए जाने चाहिए, यदि प्रिंटर उपलब्ध नहीं है, तो सभी कर्मचारी आगमन पर प्रमाण पत्र मुद्रित करने के लिए मिशन के किसी कंप्यूटर पर लॉग-ऑन करने में सक्षम हों (नीचे दिए गए लिंक):

पाठ्यक्रम शीर्षक	**अपडेटेड लिंक**
बीसेफ (क्षेत्र में सुरक्षा)	https://training.dss.un.org/course/detail/19948 (अंग्रेज़ी)

	https://training.dss.un.org/course/detail/19949 (फ्रेंच)
संयुक्त राष्ट्र में नैतिकता और अखंडता	**http://portals.unssc.org/enrol/index.php?id=13**
संयुक्त राष्ट्र कर्मियों द्वारा यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार की रोकथाम – सामंजस्यपूर्ण ढंग से कार्य करना	http://portals.unssc.org/enrol/index.php?id=80 (अंग्रेज़ी) http://portals.unssc.org/enrol/index.php?id=81 (फ्रेंच)

ix चेक-इन औपचारिकताएं: - चेक-इन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, सभी पुलिस अधिकारियों को निम्नलिखित दस्तावेज साथ लाने चाहिए और आगमन पर उन्हें उपलब्ध कराना चाहिए"-

- राष्ट्रीय पासपोर्ट (आधिकारिक) जिसकी वैधता अवधि कम से कम दो वर्ष हो
- यात्रा प्राधिकरण
- वीज़ा प्राधिकरण पत्र जहां लागू हो
- "जिससे संबधित हो" पत्र
- कम से कम दो वर्ष की वैधता अवधि वाला राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस
- गृह बैंकिंग खाता विवरण (स्विफ्ट कोड, ई-बैंक, पता, खाता, आदि)
- **कोविड टीकाकरण प्रमाणपत्र (सभी खुराकें)**
- आवश्यक टीकाकरण और मलेरिया प्रोफिलैक्सिस का प्रमाण पत्र, जब आवश्यक हो

x यदि आपके पास पहले से कोई पासपोर्ट है तो जारीकर्ता प्राधिकारी के पास अपने व्यक्तिगत पासपोर्ट को जमा करने की मूल रसीद। उन्हें एमओएफए की हार्ड कॉपी और वही पासपोर्ट साथ लाना होगा जो वीज़ा (एमओएफए), में दर्शाया गया है, उन्हें केवल आम कपड़ों में होना चाहिए।
xi राष्ट्रीय यूएन सीआईवीपीओएल केंद्र पर रिपोर्टिंग के समय **गृह विभाग** द्वारा जारी रिलीविंग ऑर्डर/एनओसी ।
xii मूल आधिकारिक पासपोर्ट.
xiii सूची के अनुसार अनुशंसित कपड़े और उपकरण तथा अनिवार्य दस्तावेज।
xiV यदि कोई अधिकारी नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार करने में विफल रहता है, तो उसे किसी भी संयुक्त राष्ट्र असाइनमेंट / विदेशी पाठ्यक्रम के साथ आगे की तैनाती / नियोजन के लिए 03 वर्ष के लिए रोक दिया जाएगा।

5. संयुक्त राष्ट्र मिशन क्षेत्र में तैनाती की अवधि के दौरान संयुक्त राष्ट्र केवल निर्वाह भत्ता देता है। वेतन और भत्ते प्रेषक प्राधिकरण द्वारा दिए जाते हैं। अधिकारियों को सरकारी आवास/टेलीफोन आदि, यदि उनके पास कोई हो, को अपने पास बनाए रखने की अनुमति भी दी जा सकती है।

6. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उपर्युक्त पुलिस अधिकारियों ने प्रशिक्षण अवधि सहित 08 वर्ष की पुलिस सेवा की है और सतर्कता की दृष्टि से उन पर कोई मामला नही बनता। उन्हें अनिवार्य रूप से वर्दी प्राप्त करनी होगी और अपनी व्यक्तिगत बचत से वर्दी का खर्च वहन करना होगा। वे हैंड/केबिन बैगेज सहित कुल 100 किलोग्राम सामान ले जाने के हकदार हैं।

7. इसलिए, अनुरोध है कि अधिकारियों को तैनाती की अपेक्षित तारीख **(07.05.2025) पर** मिशन क्षेत्र (यूएनएमआईएसएस) के लिए प्रस्थान करने से पहले अपनी यात्रा संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए दिनांक 07.05.2025 को या उससे पहले कमांडेंट, राष्ट्रीय यूएन सीआईवीपीओएल केंद्र, 22 वीं बटालियन आईटीबीपी, बत्रा अस्पताल के सामने, नई दिल्ली को रिपोर्ट करने के लिए कार्यमुक्त किया जाए ।

भवदीया,

संलग्न: उपरोक्तानुसार

जूही वर्मा

(जूही वर्मा)
निदेशक (कार्मिक-समन्वय)
23093301

<u>प्रतिलिपि</u> **: -**

1. कमांडेंट , सिवपोल सेंटर, 22 वीं बीएन आईटीबीपी, टिगरी , मदनगीर , नई दिल्ली। कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि यूएनएमआईएसएस में तैनाती के दौरान सभी पुलिस अधिकारी केवल एक ही पैटर्न की वर्दी पहनेंगे तथा इस संबंध में अधिकारी से वचनबद्धता ली जाए ।
2. संयुक्त सचिव **(यूएनपी),** विदेश मंत्रालय, कमरा सं 2029, ए विंग, जवाहरलाल नेहरू भवन, नई दिल्ली-11
3. अनुभाग अधिकारी **(आईटी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक को- गृह मंत्रालय की** वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ । (यूएन एसएएटी 2024-2026 / पुलिस-II डिवीजन)